भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न सं. 297

उत्तर देने की तारीख: 20.08.2025

विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्ध-घुमन्तु समुदायों के लिए स्थायी बसाहट

***297 श्री बंशीलाल गुर्जर:**

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्ध-घुमन्तु समुदायों की स्थायी बसाहट हेतु कौन-कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं; और

(ख) क्या प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत इन समुदायों को विशेष कोटा या प्राथमिकता प्रदान की गई है?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री

(डॉ. वीरेन्द्र कुमार)

(क) से (ख): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

"विमुक्त, घुमंतू एवं अर्ध-घुमंतू समुदायों के लिए स्थायी बसाहट" के संबंध में श्री बंशीलाल गुर्जर द्वारा पूछे गए राज्य सभा तारांकित प्रश्न सं. 297, जिसका उत्तर दिनांक 20.08.2025 को दिए जाने के लिए नियत है, के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क): सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, 'विमुक्त, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू समुदायों (डीएनटी) के आर्थिक सशक्तिकरण की योजना (सीड)' नामक केन्द्रीय क्षेत्र की योजना कार्यान्वित कर रहा है जिसमें प्रधान मंत्री आवास योजना-ग्रामीण/शहरी और अन्य सरकारी योजनाओं के अंतर्गत विमुक्त, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू समुदायों के पात्र आवेदकों को सुविधाएं (लाभ) उपलब्ध कराए जाते हैं।

(ख): प्रधान मंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के अंतर्गत राष्ट्रीय लक्ष्य का न्यूनतम 60 प्रतिशत अनुसूचित जाति (एससी)/अनुसूचित जनजाति (एसटी) परिवारों के लिए आरक्षित किया गया है। कई डीएनटी समुदाय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में आते हैं और वे इस योजना के अंतर्गत कवर होते हैं।
